भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2753
उत्तर देने की तारीख 10 जुलाई, 2019

5जी स्पेक्ट्रम नीलामी संबंधी चिंताएं

2753. डॉ0 सुकांत मजूमदार; श्री राजा अमरेश्वर नाईक; श्री पी0आर0 नटराजन; श्री विनोद कुमार सोनकर; श्री कानुमुरू रघु राम कृष्णराजू:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की चालू वित्तीय वर्ष में 5जी सेवाओं सहित स्पेक्ट्रम नीलामी करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्पेक्ट्रम की उपलब्ध मात्रा और नीलामी किए जाने वाली स्पेक्ट्रम की मात्रा संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इसके नाम के लिए निर्णय लिए गए आरक्षित मूल्य क्या हैं;

(ख) क्या दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) ने 5जी स्पेक्ट्रम के कथित उच्च आरक्षित मूल्य के संबंध में चिंताएं व्यक्त की हैं और सरकार से इसे कम करने और नीलामी को अगले वर्ष के लिए आस्थगित करने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या देश के कुछ शहरों में 5जी के लिए परीक्षण आरंभ कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का प्रौद्योगिकी को ग्रामीण लोगों तक पहुंचाने के लिए वंचित वर्गों, सामाजिक कार्यों, शिक्षा और स्वास्थ्य हेतु 5जी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ड़) सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम की उचित और पारदर्शी नीलामी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) क्या सरकार 5जी लाइसेंस हेतु भुगतान में छूट देने के बीएसएनएल के अनुरोध पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
संचार, विधि और न्याय, तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क): भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 5जी सहित किसी भी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अभिगम सेवाए प्रदान करने हेतु दिनांक 01.08.2018 को 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300-3400 मेगाहर्ट्ज, 3400-3600 मेगाहर्ट्ज बैंडों में स्पेक्ट्रम की नीलामी करने के लिए अपनी सिफ़ारिशें प्रदान की थीं। इन सिफारिशों की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा और उसके पश्चात् विभाग में एक स्थायी समिति द्वारा जांच की गई थी। स्थायी समिति की सिफारिशों पर डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) द्वारा विचार किया गया था तथा डीसीसी के निर्णय के आधार पर कुछ सिफारिशों पर पुन: विचार करने के लिए पिछला हवाला (बैक रेफ्रेंस) देते हुए ट्राई को फिर से एक पत्र लिखा गया था। इस बैक रेफ्रेंस पर ट्राई से मिलने वाले उत्तर के आधार पर, सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम की नीलामी के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

(ख) ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम ने ट्राई को दिनांक 01.08.2018 की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए एक पत्र भेजा है, जिसकी एक प्रति इस विभाग को भी पृष्ठांकित की गई थी। तथापि, उक्त पत्र पर ट्राई की टिप्पणियां इस विभाग को प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) दूरसंचार विभाग ने भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, स्टार्ट-अप्स, स्थानीय विक्रेताओं और शैक्षिक जगत सहित प्रमुख वैश्विक मूल उपस्कर विनिर्माताओं (ओईएम) को भारत में 5जी परीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रौद्योगिकी परीक्षणों के शीघ्र ही आरंभ होने की आशा है।

(घ) 5जी अगली पीढ़ी (नेक्सट जेनरेशन) सेल्युलर संचार प्रौद्योगिकी है। 3जी, 4जी इत्यादि सेल्युलर संचार प्रौद्योगिकियों का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों, अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल (हेल्थकेयर), कृषि, सार्वजनिक सुरक्षा, बैंकिंग एवं वित्त, ऑटोमोबाइल उद्योग, स्मार्ट सिटीज़ इत्यादि में किया जाता है। इसी प्रकार 5जी प्रौद्योगिकी का उपयोग स्वास्थ्य और शिक्षा सहित अनेक क्षेत्रों में किया जा सकता है।

(ङ) सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम की निष्पक्ष और पारदर्शी नीलामी करने के लिए निम्नानुसार कदम उठाए गए हैं:

i. नीलामी का ब्यौरा 'आवेदन आमंत्रण सूचना' (एनआईए) के माध्यम से पारदर्शिता से सार्वजनिक कर दिया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नीलामी प्रक्रिया के नियम, समय-सीमा, नीलामी किए जा रहे स्पेक्ट्रम का ब्यौरा, पात्रता-मानदंड और स्पेक्ट्रम प्रदान किए जाने की प्रक्रिया शामिल होती है।
ii. यह प्रक्रिया सभी संभावित बोलीदाताओं के लिए बिना भेदभाव के आधार पर खुली है।
iii. इस प्रक्रिया में संभावित बोलीदाताओं को प्रश्न उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है और ऐसी चिंताओं का समाधान 'प्रश्न और उत्तर' दस्तावेज के माध्यम से किया जाता है, जिसे दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर भी डाला जाता है।
iv. नीलामकार का चयन पारदर्शी 'प्रस्ताव के लिए अनुरोध' (आरएफपी) प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।
v. नीलामी का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी पद्धति (ईएएस) के माध्यम से ऑन लाइन किया जाता है जिसके लिए मानकीकरण जांच और गुणवत्ता प्रमाणीकरण (एसटीक्यूसी) द्वारा पूर्व सुरक्षा जांच अनिवार्य है।
vi. ईएएस को भारतीय सरकारी वेबसाइटों (जीआईजीडब्ल्यू) के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना होता है।
vii. प्रत्येक दौर में प्राप्त बोलियों सहित सभी नीलामी आंकड़ों का बैकअप तुरंत कर लिया जाता है और यह आगामी विश्लेषण और जांच के लिए उपलब्ध होता है।
viii. सरकार नीलामी आरंभ होने से पहले, पूर्व-अहर्ताप्राप्त बोलीदाताओं की सूची और उनकी स्वामित्व संरचना के बारे में जानकारी को सार्वजनिक कर देती है।
ix. नीलामी के प्रत्येक दिन की समाप्ति पर, पूरे हुए क्लॉक राउंड, कुल मांग और अनंतिम बोली मूल्य के ब्यौरे दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाते हैं।

(च) बीएसएनएल से इसके बारे में ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

****